रजिस्ट्री सं. डीएल (एन)-04/0007/2003--05 REGISTERED No. DL(N)—04/0007/2003—05-

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 41] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 13—अक्तूबर 19, 2012 (आश्विन 21, 1934)

No. 41] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 13—OCTOBER 19, 2012 (ASVINA 21, 1934)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिज़र्व बैंक

नई दिल्ली, दिनांक 31 जुलाई 2012

बैंपविवि. सं. आरईटी. बीसी. 32/12.02.001/2012-13--बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 24 की उप-धारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा 16 दिसम्बर 2010 की अधिसूचना बैंपविवि. सं. आरईटी. बीसी. 66/12.02.001/2010-11 में आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा यह विनिर्दिष्ट करता है कि 11 अगस्त 2012 से शुरू होने वाले पखवाड़े से प्रत्येक अनुसूचित वाणिज्य बैंक 09 मई 2011 की अधिसूचना बैंपविवि. सं. आरईटी. बीसी. 91/12.02.001/2011-12 और 17 अप्रैल 2012 की अधिसूचना बैंपविवि. सं. आरईटी. बीसी. 94/12.02.001/2011-12 में यथावर्णित आस्तियां भारत में बनाए रखेगा जिनका मूल्य किसी भी दिन कारोबार की समाप्ति पर दूसरे पूर्ववर्ती पखवाड़े के अंतिम शुक्रवार को भारत में कुल निवल मांग और मियादी देयताओं के 23 प्रतिशत से कम नहीं होगा।

बि. महापात्र
कार्यपालक निदेशक

मुंबई, दिनांक 17 सितम्बर 2012

बैंपविवि. सं. आरईटी बीसी. 43/12.01.001/2012-13--भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व में जारी 9 मार्च 2012 की अधिसूचना बैंपविवि. सं. आरईटी. बीसी. 85/12.01.001/2011-12 में आंशिक संशोधन करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा अधिसूचित करता है कि 22 सितम्बर 2012 को आरंभ होने वाले पखवाड़े से प्रत्येक अनुसूचित वाणिज्य बैंक द्वारा रखा जाने वाला औसत आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) उनकी निवल मांग और मियादी देयताओं का 4.50 प्रतिशत होगा।

बि. महापात्र
कार्यपालक निदेशक

पांडिच्चेरी विश्वविद्यालय

पांडिच्चेरी, दिनांक 18 सितम्बर 2012

न.पीयू/एसीए-1/संशोधन/2012-13--पांडिच्चेरी विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अधिनियम 1985 (1985 का 53) के अध्यादेश की धारा 27 के तहत् संशोधन

के अनुसार ''शैक्षिक मामलों में शासी परिषद, एवं कार्यकारी परिषद के अध्यादेश पर बनाई गई'' और आवश्यकता अनुसार विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 44 के अधीन आवश्यक परिवर्तन करने योग्य बनाया गया है।

शैक्षिक अध्यादेश में संशोधन

(1) अध्याय-XX खण्ड-8.2 (2) अध्ययन के लिए छोडे संबंधित रूप से इस प्रकार प्रतिस्थापित किया जाएगा :

खण्ड-8.2 में निहित शर्तों के विषय में पीएच.डी. में अध्ययनार्थ छुट्टी के साथ संबंध विषयों पर अनुशासन प्रासंगिक सेवा के लिए न्यूनतम दो साल के हो, एवं इसे ध्यान में रखते हुए कॉलेजों विश्वविद्यालयों में जहां शिक्षकों और अन्य संवर्गों के लिए रिक्त पद उपलब्धता वहां सम्मान पूर्व भुगतान प्राप्त किया जाए, इसिलिए शिक्षकों की योग्यता पीएच.डी. या इससे अधिक न होने पर प्रवेश संवर्गों में योग्यता हासिल करने के बजाय कैरियर संबंधित विषयों में जल्द से जल्द प्रोत्साहित किया जा सकता है।

(2) अध्याय-XX खण्ड-11.0 परिवीक्षा एवं पुष्टि की अवधि से संबंधित रूपों को इस प्रकार प्रतिस्थापित किया जाएगा।

सभी नव नियुक्त शिक्षकों को एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर ग्रेड में प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से रखा जाएगा।

शिक्षकों की परिवीक्षा नियुक्ति अवधि के दौरान बिना सूचना और बिना कारण बताए सेवा समाप्त करने का अधिकार प्राधिकारी को है।

एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि के पूरा होने के बाद, रिपोर्ट के अनुसार शिक्षक के लिए पुष्टि खाते में मिलाया जाएगा।

(i) छात्रों के फीडबेक अनुसार (न्यूनतम औसत स्कोर 5 और अधिकतम स्कोर 2.5 से बाहर होना चाहिए।)

(ii) सहकर्मचारी की समीक्षा रिपोर्ट।

(iii) स्वमूल्यांकन रिपोर्ट।

जिन शिक्षक को छात्रों के फीडबेक में कम से कम 2.5 स्कोर नहीं पाये हो जिनको सहकर्मचारी की मूल्यांकन और समीक्षा अनुसार रिपोर्ट संतोषजनक रहे तो परिवीक्षा अवधि के पूरा होने के बाद, पुष्टि खाते में मिलाया जाएगा।

जिन शिक्षक को परिवीक्षा अवधि में छात्रों के फीडबेक 2.5 से कम स्कोर पाये हो उसके प्रदर्शन भी संतोषजनक नहीं पाया जाये उनको परिवीक्षा अवधि अधिकतम एक वर्ष बढ़ाया जा सकता है (लेकिन छात्रों के फीडबेक उक्तकाल अवधि में कम से कम 2.5 स्कोर पाना जरूरी है।) ऐसी हालत में उसकी सेवा एक महीने या एक महीने के वेतन के साथ नोटिस एवज में भुगतान कर समाप्त करा सकता है।

विस्तरित अवधि सहित, यदि कोई उपरोक्त प्रावधानों के तहत पुष्टि/या सेवाओ की परिवीक्षा अवधि के विस्तार हो तो उसकी घोषणा के आदेश परिवीक्षा अवधि के पूरा होने के छह सप्ताह के भीतर जारी किया जाएगा।

केन्द्र सरकार के सभी अन्य परिवीक्षा और पुष्टि नियम फेरफार के साथ लागू होगा।

जे. सम्पत
रजिस्ट्रार ऐ/सी.

भारतीय भेषजी परिषद्

(भेषजी अधिनियम 1948 के अंतर्गत स्थापित)

नई दिल्ली-110002, दिनांक 17 सितम्बर 2012

सं. 17-1/2012-पी.सी.आई.58935—39--भारतीय भेषजी परिषद् के द्वारा पारित निम्नलिखित संकल्पों जो 89 वें अधिवेशन में 1 और 2 अप्रैल 2012 को सम्पन्न हुआ भेषजी अधिनियम 1948 (1948 का 8) की धारा 15 में विहित प्रावधानों के तहत राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है।

प्रस्ताव सं. 89/पी.सी.आई/1419

भेषजी डिग्री

विषय-वस्तु संख्या/ मिसिल सं.	संस्था का नाम	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
तमिलनाडू				
277/32-119/2009-पी.सी.आई.	महाराजी कॉलेज ऑफ फार्मेसी, नम्बर 1, 7 एवेन्यू बसंत नगर, चेन्नई-600090 (तमिलनाडू)		भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 13 की उपधारा (2) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद् घोषित करती है कि महाराजी कॉलेज ऑफ फार्मेसी, नम्बर 1, 7 एवेन्यू बसंत नगर, चेन्नई-600090 (तमिलनाडू) द्वारा संचालित फार्मेसी में डिग्री पाठ्यक्रम निबंधक, दी तमिलनाडू डॉ. एम.जी. आर. चिकित्सा विश्वविद्यालय, नं. 69 (पुराना नं. 40), पी.बी. नं. 1200, अन्ना सलाई, ग्यूनडी, चेन्नई-600032 द्वारा आयोजित उपयुक्त संस्थान की डिग्री फार्मेसी परीक्षा तभी अनुमोदित मानी जायेगी जब 2010-2011 शैक्षणिक सत्र तक दाखिल हुए छात्र 2014 तक उक्त पाठ्यक्रम को पूरा कर लें अथवा उक्त परीक्षा पूरी या पास कर लें। आगे यह घोषणा करने का निर्णय लिया गया है कि उक्त संस्थान में पाठ्यक्रम और अध्ययन का अनुमोदन 2014 की वार्षिक परीक्षा के बाद खत्म माना जाएगा।	

अर्चना मुद्गल
निबंधक-एवं-सचिव

RESERVE BANK OF INDIA

New Delhi, the 31st July 2012

No. DBOD. No. Ret. BC. 32/12.02.001/2012-13—In exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of Section 24 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) and, in partial modification of the Notification DBOD No. Ret. BC. 66/ 12.02.001/2010-11 dated December 16, 2010, the Reserve Bank hereby specifies that with effect from the fortnight beginning August 11, 2012, every Scheduled Commercial Bank shall maintain in India assets as detailed in notification DBOD No. Ret BC 91/12.02.001/2010-11 dated May 09, 2011 and DBOD No. Ret BC. 94/12.02.001/2011-12 dated April 17, 2012, the value of which shall not at the close of business on any day be less than 23 per cent of the total net demand and time liabilities in India as on the last Friday of the second preceding fortnight.

B. MAHAPATRA
Executive Director

Mumbai, the 17th September 2012

No. DBOD. No. Ret. BC. 43/12.01.001/2012-13—In exercise of the powers conferred under the sub-section (1) of Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 and in partial modification of the earlier notification DBOD. No. Ret. BC.85/12.01.001/ 2011-12 dated March 09, 2012, the Reserve Bank hereby notifies that the average Cash Reserve Ratio (CRR) required to be maintained by every Scheduled Commercial Bank shall be 4.50 per cent of its net demand and time liabilities from the fortnight beginning September 22, 2012.

B. MAHAPATRA
Executive Director

PONDICHERRY UNIVERSITY

Pondicherry, the 18th September 2012

No. PU/Aca-I/Amendments/2012-13—In exercise of the power conferred under Section 27 of the Pondicherry University Act 1985 (53 of 1985) and the Statutes of the University, the following amendment have been made by the Academic Council and Executive Council of the University to the "Ordinances Governing Academic matters" and published hereunder as per requirement under Section 44 of the University Act.

AMENDMENTS TO THE ACADEMIC ORDINANCE

(i) In Chapter-XX Clause 8.2 (ii) relating to Study leave shall be substituted as follows:—

Subject to the terms contained in this Clause 8.2, in respect of granting study leave with pay for acquiring Ph. D. in a relevant discipline while in service, the number of years to be put in after entry would be a minimum of two years subject to satisfactory completion of probation, keeping in mind the availability of vacant positions for teachers and other cadres in colleges and universities, so that a teacher and other cadres entering service without Ph. D. or higher qualification could be encouraged to acquire these qualifications in the relevant disciplines at the earliest rather than at a later stage of the career.

(ii) In Chapter-XX Clause 11.0 relating to period of probation and confirmation shall be substituted as follows:

"All newly appointed teachers will be placed on probation for a period of one year from the date of initial appointment in the grade.

During the period of probation, the appointing authority has the power to terminate the service of teachers without notice and without assigning any reasons.

On completion of one year probation period, the following reports will be taken into the account for confirmation of the teacher:

(i) Feed back of students (minimum average score should be 2.5 out of a maximum score of 5)

(ii) Peer review report

(iii) Self Appraisal Report

The teachers who have scored not less than 2.5 in the students feed back assessment and whose peer review and self appraisal reports are satisfactory, may be confirmed on completion of the probation period.

In the case of teachers who have scored less than 2.5 in the students' feed back assessment during their

initial period of probation, their probation may be extended for a maximum period of one year. If his/her performance during the extended period of probation is also not found satisfactory (i.e. if the score in the students feed back assessment continues to be less than 2.5), his/her services may be terminated any time with either a notice of one month or payment of one month salary in lieu.

The orders of the declaration of the probation and confirmation/extension of probation period or termination of services under the above provisions would be issued within six weeks of completion of probation period, including extended period, if any.

All other Central Government rules on probation and confirmation shall be applicable mutatis mutandis."

J. SAMPATH
Registrar i/c

PHARMACY COUNCIL OF INDIA

(Constituted under the Pharmacy Act, 1948)

New Delhi-110002, the 17th September 2012

No. 17-1/2012-PCI/58935-39—The following resolutions passed by the Pharmacy Council of India in its 89th Central Council meeting held on 1st & 2nd April, 2012 are published hereunder as required under section 15 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948).

DEGREE IN PHARMACY

Resolution No. 89/PCI/1419

Item No./Name of Institutions File No.	For admissions Limited to	Approved upto Academic session	Name of the Examining Authority
277/32-119/2009-PCI Maharaji College of Pharmacy, No. 1, 7th Avenue, Besant Nagar, Chennai-600090 (Tamil Nadu)	—"In pursuance of the provisions of sub-section (2) of section 13 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948) the Pharmacy Council of India declares that the Degree course in Pharmacy conducted by the Maharaji College of Pharmacy, No. 1, 7th Avenue, Besant Nagar, Chennai-600090 (Tamil Nadu), and the degree examination in Pharmacy of the subject institution conducted by the The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, No. 69 (Old No. 40), P.B.No. 1200, Anna Salai, Guindy, Chennai-600032, be deemed to be approved only when completed or passed by 2014 annual final year examination for the students admitted upto 2010-2011 academic session." It was further decided to declare that approval of the conduct of the course of study at the said institution shall be deemed to be withdrawn after 2014 annual examination.		

ARCHNA MUDGAL
Registrar-cum-Secretary

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2012
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2012

MGIPF—[PART III—SEC. 4]—340 Copies

Note : C. C. of Indian Medicine List (Printed Pages No. 8159 to 12150) Separately—30 Copies.